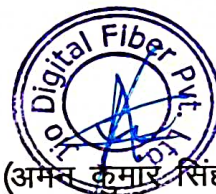


संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा समस्त जिलों के मुख्य मार्गों में सड़क किनारे (राईट ऑफ-वे) ऑप्टिकल फायबर बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 215 दिनांक 19 मार्च 2021 को प्रकाशित "छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार के विकास के लिए तारमार्ग के अधिकार (राईट ऑफ-वे) की नीति 2021 जारी की गई है।

इसी तारतम्य में कोरबा जिले के करतला एवं कोरबा तहसील अंतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)